श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

डॉ. रामेश्वर उराँव
वित्त मंत्री

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट अभिभाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2022

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट अभिभाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2022

अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, वित्तीय वर्ष 2022–23 की आय–व्ययक विवरणी इस सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

2. **अध्यक्ष महोदय,** मैं इस सदन की ओर से झारखण्ड के महान सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ, जिनकी शहादत ने इस राज्य के इतिहास को गढ़ा है। मैं, स्मरणीय बाबा तिलका माँझी, वीर बुधू भगत, सिदो–कानू, चाँद–भैरव, बहन फूलो–झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, शेख भिखारी, धरती आबा बिरसा मुण्डा, जतरा टाना भगत आदि की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ।

3. **अध्यक्ष महोदय,** मेरे साथ सम्पूर्ण सदन को परमवीर अल्बर्ट एक्का सहित झारखण्ड के उन समस्त वीर सपूतों पर हार्दिक गर्व है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हँसते–हँसते अपने प्राणों की बलि दी। आज मैं उन सबों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

4. **अध्यक्ष महोदय,** हमारा राज्य अब वैश्विक कोरोना महामारी की विभीषिका से उबर रहा है। विगत दो वर्षों में समस्त विश्व एवं अपने देश के अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य ने भी कोरोना महामारी के कारण काफी परेशानियाँ झेली है। निःसंदेह इस महामारी ने हमारे सामाजिक–आर्थिक विकास में गम्भीर व्यवधान डाले, लेकिन इसी ने हमें त्रासदी का सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ने और वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का मार्ग भी प्रदर्शित किया है।

5. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे युवा मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि से हमें विपरीत परिस्थितियों में संयम के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। साथ ही उन्होंने

सामाजिक–आर्थिक ढाँचे को फिर से प्रगति की पटरी पर गतिशील करने के लिए ओजस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया है।

6. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य का शासन सही तरीके से चलाने के सम्बन्ध में हमारे महान अर्थशास्त्री और राजनीतिवेत्ता कौटिल्य की उक्ति है कि–

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिये। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे उसमें है।

7. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार इसी लोक कल्याण की वैचारिकी के साथ कार्य कर रही है। राज्य के समस्त वृद्धजनों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से लागू की गई **Universal Pension Scheme** तथा राज्य के समस्त गरीबजनों को अनुदान पर पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए प्रारम्भ की गई **CM-SUPPORT Scheme** इसके ज्वलंत प्रमाण हैं।

8. हमारे बजट प्रस्ताव में वृद्धजनों को आसरा, महिलाओं को निश्चिन्तता, विद्यार्थियों का समग्र विकास, कन्याओं को अभय, व्यवसायियों को निर्बाध व्यवसाय का संदेश, किसानों को सम्पन्न जीवन आधार, कर्मियों को निश्चिन्त भविष्य, कर्मकारों की दैनिक कठिनाइयों का निवारण, आमजनों के जीवन–यापन की बेहतर सुविधाएँ, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास के बहुविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं।

9. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार का मानना है कि **'बजट'** मात्र आय–व्यय का दस्तावेज नहीं है। यह सरकार की सोच, नीयत, निष्ठा, परिश्रम, समर्पण, इच्छाशक्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आकांक्षा का प्रतिबिम्ब है। साथ ही यह जनता की अपेक्षाओं एवं सपनों को ठोस रूप देता है।

10. हमारी सरकार ने **हमर अपन बजट** पोर्टल के माध्यम से आम जनता तथा विशेषज्ञों का सुझाव प्राप्त करने का नवाचारी प्रयोग किया। इस परिप्रेक्ष्य में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय–विशेषज्ञों तथा युवा वर्ग की सोच, अपेक्षा और आकांक्षा को समझने के लिए कई बजट गोष्ठियाँ भी आयोजित की गईं। इन बजट गोष्ठियों में सभी लोगों ने विशेषकर युवा वर्ग ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

11. **अध्यक्ष महोदय,** बजट गोष्ठियों में यह बात उभर कर सामने आयी कि हमारे राज्य के युवा की सोच काफी प्रगतिशील और इनोवेटिव है। उनके द्वारा नई तकनीक के विकास, सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग, इलेक्ट्रोनिक वाहन के उपयोग, आधुनिक कृषि–तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, इनक्यूवेशन सेन्टर की स्थापना तथा स्टार्ट–अप पर अधिकाधिक जोर देने का सुझाव दिया गया। इन सभी सुझावों का समावेश वर्तमान बजट में करने का प्रयास किया गया है।

12. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)** के साथ–साथ **ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living)** भी आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तिगत योजनाओं के तहत DBT के माध्यम से भुगतान करने, सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों को सुलभ तरीके से ऑन लाईन/ऑफ लाईन उपलब्ध कराने, सभी प्रकार का भुगतान डिजिटल मोड में करने, अभियान चलाकर सभी

छात्र–छात्राओं के प्रमाण–पत्र उनके विद्यालयों में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगामी वित्तीय वर्ष में और तेजी से की जायेगी।

13. **आपकी सरकार, आपके द्वार** कार्यक्रम के क्रम में आम जनता के दरवाजों तक पहुँच कर उनकी समस्याओं के समाधान निकाले गए, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं।

14. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे देश और राज्य में जनतांत्रिक प्रणाली की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। खासकर अपने राज्य में गाँवों के अखड़ा में विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लेने की परम्परा तो सदियों पुरानी है। खुले मन से चर्चा–परिचर्चा, विचार–विमर्श और वाद–विवाद जनतांत्रिक व्यवस्था के प्राणवायु हैं। मुझे आशा है कि बजट–सत्र सदन को स्वस्थ परिचर्चा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवायेगा। विश्वास है कि हम सभी सर्वसम्मति से निर्णयों को मूर्त रूप प्रदान कर राज्य के आमजनों की उम्मीदों की कसौटी पर खरे उतर सकेंगे।

15. **अध्यक्ष महोदय,** मैं अपनी सरकार की उम्मीदों–आशाओं को चन्द पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ कि :–

न भीतर संशय का तम है
न बाहर मृगतृष्णा का भ्रम है
प्रस्तावित नवजीवन उपक्रम है
इसे सहर्ष स्वीकार करें।
आइये मिलकर हर घर में,
एक–एक दीप प्रदीप्त करें,
तृण–तृण से सृजन की,
स्वर्ण ज्योति उदीप्त करें।

16. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्व व्यय के लिये **76 हजार 02 सौ तिहत्तर करोड़ 30 लाख रुपये (76,273.30 करोड़ रुपये)** प्रस्तावित है।

17. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के विकास के लिये पूँजीगत व्यय अत्यावश्यक है और इसी के मद्देनजर **पूँजीगत व्यय पर 59% वृद्धि** करते हुए **24 हजार 08 सौ 27 करोड़ 70 लाख रुपये (24,827.70 करोड़ रुपये)** का प्रस्ताव है।

18. **अध्यक्ष महोदय,** मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट **01 लाख 01 हजार 01 सौ 01 करोड़ रुपये (1,01,101 करोड़ रुपये)** का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

19. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाय, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31 हजार 08 सौ 96 करोड़ 64 लाख रुपये (31,896.64 करोड़ रुपये), सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37 हजार 03 सौ 13 करोड़ 22 लाख रुपये (37,313.22 करोड़ रुपये) तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31 हजार 08 सौ 91 करोड़ 14 लाख रुपये (31,891.14 करोड़ रुपये) उपबंधित किये गये हैं।

20. बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24 हजार 08 सौ 50 करोड़ रुपये (24,850 करोड़ रुपये) तथा गैर कर राजस्व से 13 हजार 07 सौ 62 करोड़ 84 लाख रुपये (13,762.84 करोड़ रुपये), केन्द्रीय सहायता से 17 हजार 04 सौ 05 करोड़ 74 लाख रुपये (17,405.74 करोड़ रुपये), केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27 हजार 06 करोड़ 58 लाख रुपये (27,006.58 करोड़ रुपये), लोक ऋण से करीब 18 हजार करोड़ रुपये (18,000 करोड़ रुपये) एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75 करोड़ 84 लाख रुपये (75.84 करोड़ रुपये) प्राप्त होंगे।

21. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड के विकास दर में भी गिरावट आयी। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020–21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में आई 7.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में झारखण्ड में 4.7 प्रतिशत की गिरावट आयी।

22. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार की दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय 2021–22 में विकास दर Constant Price पर 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। Current Price पर यह विकास दर 14.5 प्रतिशत अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में Constant तथा Current Price पर क्रमशः 6.15 तथा 10.72 प्रतिशत अनुमानित है।

23. आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा 11 हजार 02 सौ 86 करोड़ 47 लाख रुपये (11,286.47 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.81% है।

24. **अध्यक्ष महोदय,** लोगों की अपेक्षाएँ असीम हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं। इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आधारभूत संरचनाओं तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य बने। इसलिए इस बजट में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ–साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनायें जैसे Universal Pension, चावल, दाल, धोती–साड़ी, आवास, छात्रों के पठन–पाठन पर भी बल दिया गया है।

25. **अध्यक्ष महोदय,** सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत

स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोत्तरी की गई है।

26. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में Capital Assets का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में Capital Outlay में 62% की वृद्धि करते हुए 18 हजार 17 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

27. **अध्यक्ष महोदय,** सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूँ :–

<u>कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र</u>

28. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा कोविड–19 जैसी महामारी से राज्य के किसानों को राहत देने के लिए **झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना** के तहत अबतक 02 लाख 11 हजार 05 सौ 30 कृषकों के खाते में 08 सौ 36 करोड़ रुपये हस्तांतरित की गई है।

29. **जलनिधि योजना** अन्तर्गत राज्य के सभी जिलो में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 01 हजार 07 सौ 66 डीप बोरिंग का कार्य एवं 01 हजार 09 सौ 63 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना है।

30. आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में **एग्री स्मार्ट ग्राम योजना** के अन्तर्गत प्रथम चरण में 100 गाँवों का चयन माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जायेगा। इन चयनित गाँवों का Gap Analysis कर विभिन्न योजनाओं से Convergence करते हुए इन गाँवों का समग्र विकास किया जायेगा।

31. राज्य उद्यान विकास योजना में **गो–धन न्याय योजना** के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जायेगी तथा इससे बायोगैस बनाने के साथ–साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जायेगा।

32. लगभग 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्त्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य है।

33. वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2022–23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

34. कृषि उत्पादों के बेहतर भण्डारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखण्ड के विभिन्न जिलों में 05 हजार मिट्रीक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में शीत गृह निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

35. झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना अन्तर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपये का Corpus Fund create किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र के लिए 04 हजार 91 करोड़ 37 लाख रुपये (4,091.37 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>जल संसाधन</u>

36. **अध्यक्ष महोदय**, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत चांडिल डैम, गालूडीह बराज एवं खरकई बराज से निःसृत मुख्य नहरों से किसानों को जल्द से जल्द

सिंचाई लाभ देने के लिये **भूमिगत पाईप लाईन (UGPL) द्वारा खेतों तक पानी** पहुँचाया जायेगा।

37. देवघर जिला में निर्माणाधीन पुनासी जलाशय योजना के मिट्टी बाँध का निर्माण कराकर जलाशय में जल संचयन किया जा रहा है। मुख्य नहर एवं निर्माणाधीन स्पीलवे का शेष कार्य जून, 2022 तक पूर्ण करते हुए मुख्य नहर के 36 कि०मी० तक से डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई कार्य प्रारम्भ कराने का लक्ष्य है।

38. दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानेश्वर प्रखण्ड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 01 हजार 02 सौ 04 करोड़ रुपये की **मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना** की स्वीकृति दी गई है, जिसपर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

39. आगामी वित्तीय वर्ष में जमींदारी बाँधों/तालाबों एवं 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 चेकडैम के निर्माण का लक्ष्य है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में जल संसाधन के लिए 01 हजार 08 सौ 94 करोड़ 48 लाख रुपये (1,894.48 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>ग्रामीण विकास</u>

40. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु मनरेगा के तहत् लगातार कार्य कराये जा रहे है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है।

41. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अबतक 10 लाख 44 हजार 03 सौ 21 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लक्ष्य के अनुरूप शेष आवास 05 लाख 22 हजार 04 सौ 35 आवासों का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत IAP जिलों में प्रति आवास 01 लाख 30 हजार रुपये तथा Non-IAP जिलों में 01 लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे, जिससे 25 वर्ग मीटर में छोटे–छोटे कमरे एवं किचन का निर्माण हो पाता है। सरकार यह महसूस करती है कि इतने छोटे घरों में पूरा परिवार ठीक से नहीं रह पाता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा State Fund से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50 हजार रुपये प्रति आवास की दर से उपलब्ध कराने की योजना है।

42. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 06 हजार 06 सौ 87 आवासों का निर्माण कार्य करने तथा 11 हजार नये आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण का लक्ष्य है।

43. राज्य में लगभग 02 लाख 72 हजार सखी मंडलों का गठन किया गया है तथा इससे 34 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में 10 हजार नये सखी मंडल का गठन करने तथा 20 हजार सखी मंडल को चक्रीय राशि एवं 74 लाख सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इन सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु बड़ी संख्या में **Palash Retail Outlets** खोले जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्रामीण विकास के लिए 08 हजार 51 करोड़ 67 लाख रुपये (8,051.67 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>पंचायती राज</u>

44. वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15वें वित्त आयोग अनुदान मद में लगभग 01 हजार 02 सौ 93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की सम्भावना है, जिसमें से जिला परिषदों को

10%, पंचायत समितियों को 15% तथा ग्राम पंचायतों को 75% राशि दी जायेगी। उक्त राशि से संबंधित संस्था 30% जलापूर्ति पर, 30% स्वच्छता पर और शेष 40% का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी। योजना का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

45. पंचायतों को ज्यादा लोकोन्मुखी बनाने एवं ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पंचायत भवन में क्रियाशील Common Services Centers (CSC) को सुदृढ़ किया जायेगा। इस पर 45 करोड़ व्यय का प्रस्ताव है।

46. ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ **पंचायत ज्ञान केन्द्र की स्थापना** की जाएगी। इस पर 21 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में पंचायती राज के लिए 02 हजार 15 करोड़ 47 लाख रुपये (2,015.47 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

47. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार हर निर्बल–निर्धन के साथ सदा खड़ी रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा **Universal Pension** की परिकल्पना की गई है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु पेंशन प्राप्त करने की पात्रता को सरल कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने के पश्चात् अब तक 02 लाख 90 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में शेष बचे लाभान्वितों को आच्छादित किया जायेगा।

48. आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित होकर पोषाहार एवं शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों की प्राप्ति करें, इस हेतु

बच्चों को गर्म पोशाक (Woollen Uniform) वितरित करने की योजना लागू की जायेगी। इसके तहत लगभग 15 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इसके साथ ही बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अण्डा वितरण करने का प्रस्ताव है।

49. आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने हेतु बर्त्तनों तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु एक–एक **जल शोधक यंत्र (Water Purifier) की आपूर्त्ति** करने की योजना है।

50. विद्यालय से बाहर रह रहे 23 हजार किशोरियों एवं युवतियों का चयन शिक्षा प्राप्ति के लिये किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में कम से कम 14 हजार किशोरियों एवं युवतियों का 8वीं / 10वीं पाठ्यक्रम में नामांकित करने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 05 हजार 07 सौ 42 करोड़ 32 लाख रुपये (5,742.32 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</u>

51. **अध्यक्ष महोदय,** विद्यालयों के छीजन दर को कम करने हेतु कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के 01 हजार 08 सौ 28 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं तथा आगामी वर्ष में 01 हजार और पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

52. वैश्विक महामारी के दौरान राज्य के लगभग 06 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर हो गये थे, जिसमें से लगभग 04 लाख 23 हजार विद्यार्थियों का नामांकन पुनः विद्यालयों में कराया गया है तथा शेष विद्यार्थियों हेतु सेतु पाठ्य योजना प्रारम्भ की गयी है।

53. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के लिए **निदानात्मक शिक्षा (Remedial Class)** प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

54. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य गठन के समय से ही पारा शिक्षक अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आन्दोलन करते रहे हैं। हमारी संवेदनशील सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को समझते हुये प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत तथा टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। अब ये पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक के नाम से जाने जायेंगे। आगामी वर्ष 2022–23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

55. माध्याह्न भोजन के अन्तर्गत अतिरिक्त पोषाहार यथा– अण्डा एवं फल के लिये 136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

56. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों को धरातल पर उतारने हेतु तथा शिक्षक–छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिये प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के लिये पद सृजन पर कार्य किया जा रहा है।

57. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संप्राप्ति हेतु ज्ञानोदय योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में **गणित एवं विज्ञान लैब का अधिष्ठापन** तथा डिजिटल शिक्षा के साथ–साथ **शिक्षकों को 42 हजार टैब** उपलब्ध कराया जायेगा।

58. राज्य के कुल 84 मॉड्ल विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के दृष्टिकोण से उसमें हॉस्टल का निर्माण तथा परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना है।

59. राज्य में संचालित 203 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में नामांकन के अनुरूप छात्राओं के उचित आवासन की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

60. आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से जिला पुस्तकालय का निर्माण किया जायेगा। राँची में Competition की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक वृहद् **Reading Room का निर्माण** कराया जायेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के लिए 11 हजार 06 सौ 60 करोड़ 68 लाख रुपये (11,660.68 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>उच्च एवं तकनीकी शिक्षा</u>

61. राज्य में GER (Gross Enrolment Ratio) में बढ़ोत्तरी तथा सुलभतापूर्वक गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिसके साकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नये डिग्री/महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में इन सभी कॉलेजों में पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

62. आगामी वित्तीय वर्ष में रामगढ़ जिला अन्तर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव है।

63. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों के सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। शिक्षकों के रिक्त 01 हजार 03 सौ 63 पदों की अधियाचना JPSC को भेजी गई है एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

64. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के गरीब छात्र–छात्राएँ पैसे के अभाव में श्रेष्ठ संस्थाओं से उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं। बैंकों द्वारा भी बिना **Mortgage** के **Loan** की राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड के छात्र–छात्राओं के उच्चत्तर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु **Guruji Credit Card Scheme** प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

65. क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची में भारत सरकार के सहयोग से **Science City** की **स्थापना** का प्रस्ताव है।

66. आगामी वित्तीय वर्ष में **दुमका एवं देवघर में तारामंडल की स्थापना** का कार्य पूर्ण कर इसके संचालन की कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 02 हजार 26 करोड़ 13 लाख रुपये (2,026.13 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

67. **अध्यक्ष महोदय,** कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन का सार है और इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। वर्त्तमान में इसके लिए कई कार्य किये जा रहे हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में भी निम्न योजनायें प्रस्तावित हैं :–

(i) राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जिलों के जिला अस्पतालों को 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जायेगा।

(ii) पहल के आधार पर रिनपास, कांके, राँची की खाली जमीन पर PPP मोड पर **मेडिको सिटी की स्थापना** का प्रयास।

(iii) RIMS, MGM तथा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है।

(iv) सरायकेला, खूँटी तथा लोहरदगा जिले के अनुमण्डल अस्पतालों को जिला स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा।

(v) आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए **अधिकाधिक लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा** प्रदान करना।

(vi) निर्माणाधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य भवनों को पूर्ण कराना, कर्मियों/मशीन, उपकरणों आदि की व्यवस्था कर उनका संचालन करना।

(vii) डायलिसिस, एसएनसीयू, आईसीयू, ब्लड बैंक, जन औषधि स्टोर आदि को शामिल करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, विशेष रूप से **जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार** किया जाना।

(viii) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र में टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।

(ix) सार्वजनिक क्षेत्र में पैरामेडिकल/एएनएम/जीएनएम/बीएससी नर्सिंग/फार्मेसी स्कूलों/कॉलेजो के नेटवर्क का विस्तार करके राज्य में पैरामेडिकल शिक्षा को मजबूत करना।

(x) राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए हाट बाजार में **मोबाईल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं** उपलब्ध कराना।

(xi) दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदाय (PVTG) के परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए **बाईक एम्बुलेंस सेवाएं** आरंभ करना।

इन सभी प्रयासों को मूर्त्त रूप देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए गत् वर्ष के बजट में 27% की वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 05 हजार 06 सौ 18 करोड़ 83 लाख रुपये (5,618.83 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>पेयजल एवं स्वच्छता</u>

68. **अध्यक्ष महोदय,** अभी–अभी हमने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन का सार है और हम सभी यह जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी लगभग 80% बिमारियाँ दूषित पेयजल के कारण होती हैं। हमारे राज्य के कई एक क्षेत्रों में आज भी लोग लाल पानी, काला पानी, Arsenic तथा Floride युक्त दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हमारी सरकार वर्ष 2024 तक सभी लोगों के घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

69. **अध्यक्ष महोदय,** इस दिशा में कार्य प्रारम्भ करते हुए हमारी सरकार द्वारा साहेबगंज, गोड्डा, दुमका तथा पाकुड़ के लोगों को **गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल** उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

70. वर्त्तमान में 289 अदद् वृहत ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत् 96 अदद् नये वृहत ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर इसके निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ वृहत जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण हेतु सतही स्रोत

उपलब्ध नहीं है, वैसे क्षेत्रों को सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है।

71. राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र जो जलापूर्त्ति से आच्छादित नहीं हो पाये हैं या आंशिक रूप से आच्छादित हैं, उन टोलों में जलापूर्त्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के सभी पंचायतों में 05–05 अदद् प्रति पंचायत की दर से नलकूप निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

72. राज्य के लगभग सभी ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, किन्तु कई परिवार ऐसे है, जो छूट गये हैं। इसलिए इन छूटे हुए परिवार के साथ–साथ नये घरों में भी शौचालय निर्माण कराया जा रहा है।

सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में 20% की वृद्धि करते हुए कुल 04 हजार 54 करोड़ 40 लाख रुपये (4,054.40 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

73. **अध्यक्ष महोदय**, राज्य की गरीब जनता को सरकार द्वारा दी जा रही मूलभूत सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सरलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों को युक्तियुक्त बनाने के साथ–साथ सरलीकरण कर अनावश्यक जटिलताओं को दूर किया जायेगा।

74. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन वर्त्तमान में 09 लाख अन्त्योदय परिवारों को 01 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम तथा Priority Household (PHH) योजना के

लगभग 02 करोड़ 28 लाख सदस्यों को प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

75. वैसे परिवार जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं किया जा सका है, वैसे 15 लाख लाभुकों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना संचालित कर प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न 01 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

76. **अध्यक्ष महोदय, अभी भी अनेकों योग्य परिवार इस लाभ से वंचित हैं, इसलिए झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किये जाने का प्रस्ताव है। इससे 05 लाख नये परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे।**

77. **राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से दाल वितरण योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह 01 किलोग्राम दाल 01 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।**

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के लिए 02 हजार 05 सौ 52 करोड़ 58 लाख रुपये (2,552.58 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास</u>

78. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 गठित किया गया है, जिसकी नियमावली प्रारूप तैयार की जा रही है। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40

हजार रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियोजित किया जायेगा।

79. आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में **मुख्यमंत्री सारथी योजना** प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करायी जायेगी।

80. राज्य सरकार युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार–स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 2022–23 में **एक लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण** का लक्ष्य रखा गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 05 सौ 90 करोड़ 70 लाख रुपये (590.70 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण</u>

81. **अध्यक्ष महोदय,** मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना राज्य के पिछड़े एवं अभिवंचित वर्ग को सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण–सह–अनुदान देकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण–सह–अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत ऋण राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 05 लाख रूपये का अनुदान (Subsidy) देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना को विस्तृत रूप में लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये कुल 100 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की जा रही है।

82. आगामी वित्तीय वर्ष में 14 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 09 आश्रम विद्यालय, 04 पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालय तथा 01 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

83. **वित्तीय वर्ष 2022–23 में मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं की भाँति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी यूनाईटेड किंगडम एवं नॉर्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, आदि में मास्टर्स (Masters)/(M-Phil) Full Degree Programme ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।**

84. झारखण्ड के जनजातीय संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा– **सरना/जाहेर स्थान/हड़गड़ी/मसना** के विकास के लिये चहारदीवारी निर्माण, पेयजलापूर्त्ति, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्त्ति, चबूतरा निर्माण, आदि का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु कुल 175 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

85. **कब्रिस्तान घेराबंदी** के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में क्रियान्वयन हेतु कुल 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 02 हजार 02 सौ 17 करोड़ 40 लाख रुपये (2,217.40 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

86. **अध्यक्ष महोदय,** वन संवर्द्धन एवं संरक्षण के सतत् प्रयासों के कारण राज्य द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के प्रतिवेदन के अनुसार 2019 से 2021 तक 11 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वृद्वि हुई है।

87. इस वित्तीय वर्ष में कुल 01 लाख 78 हजार पौधों का रोपन किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर कुल 02 लाख 56 हजार पौधारोपण का प्रस्ताव है।

88. **अध्यक्ष महोदय,** नदी तट पर वृक्षारोपण के तहत सभी 24 जिलों में 753 कि०मी० नदी तट वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 93 कि०मी० नदी तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 115 कि०मी० नदी तट वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रस्तावित है।

89. नामकुम में अवस्थित **Biodiversity Park** को PPP Mode के तहत Eco Tourism Park के सिद्धान्त पर विकसित करने का प्रस्ताव है।

90. **पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन अनुदान** के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत पलामू व्याघ्र आरक्ष में वन्यप्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य आदि के लिए अनुदान मद से राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए 01 हजार 19 करोड़ 95 लाख रुपये (1,019.95 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

पथ निर्माण

91. राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके उन्नयन एवं विकास पर बल दिया गया है। राज्य गठन के समय पथों की लम्बाई मात्र 54 सौ कि०मी० थी, यह बढ़कर अब 12 हजार 07 सौ 36 कि०मी० हो गई है।

92. आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 12 सौ कि०मी० पथों का Widening/ Strengthening/ Riding Quality Improvement, 20 पुल–पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना है।

93. राज्य की राजधानी राँची में जाम की समस्या के निवारण हेतु Inner Ring Road/ Flyover/ Elevated Corridor एवं अन्य पथों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः नेवरी बूटी मोड़–कोकर–कांटाटोली–नामकोम पथ, विवेकानन्द स्कूल मोड़–नयासराय–रिंगरोड पथ, सिरम टोली–राजेन्द्र चौक–मेकॉन round about तक का 04 lane का elevated corridor का निर्माण कार्य शामिल हैं।

साथ ही, Ring Road के प्रमुख Radial Roads के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का भी प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में पथ निर्माण के लिए 03 हजार 08 सौ 53 करोड़ 34 लाख रुपये (3,853.34 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण पथ कार्य

94. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 सौ कि०मी० पथ का उन्नयन/ सुदृढ़ीकरण तथा 250 पुल का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

95. इसी प्रकार, केन्द्र प्रायोजित योजना Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Area (RCPLWEA) के तहत 500 कि०मी० पथ एवं 50 पुल के निर्माण का प्रस्ताव है।

96. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य संपोषित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का विस्तार करते हुए इसे **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना** के रूप में Launch करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में 01 हजार कि०मी० ग्रामीण पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है।

97. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में 70 पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्रामीण पथ कार्य के लिए 02 हजार 06 सौ 64 करोड़ 33 लाख रुपये (2,664.33 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>भवन निर्माण</u>

98. **अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान **श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA)** परिसर में आ रही कठिनाईयों के मद्देनजर इसके नये भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने हेतु इस संस्थान के लिए नये भवन का निर्माण प्रस्तावित है।

99. पदाधिकारियों/कर्मियों के आवासों की कमी को दूर करने हेतु वरीय पदाधिकारियों/पदाधिकारियों/कर्मियों के आवासों का निर्माण कार्य भी अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

100. आगामी वित्तीय वर्ष में नई दिल्ली में दूसरे झारखण्ड भवन, गोड्डा तथा धनबाद समाहरणालय एवं सरायकेला तथा गुमला के अनुमण्डल कार्यालय एवं दुमका Convention Centre का निर्माण कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

101. आगामी वित्तीय वर्ष में **गुमला, चतरा, लोहरदगा एवं बोकारो में समाहरणालय भवन** तथा **चतरा, सिमडेगा, बगोदर एवं जामताड़ा का अनुमण्डलीय कार्यालय भवन** के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में भवन निर्माण के लिए 05 सौ 68 करोड़ 06 लाख रुपये (568.06 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>परिवहन</u>

102. साहेबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु Multi Modal Terminal के नजदीक **Industrial-cum-Logistic Park का निर्माण** प्रस्तावित है। भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।

103. परिवहन विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में सभी प्रकार के शुल्क एवं कर e-Gras/ई–पोस मशीन के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है तथा पूर्णतः कैश लेस सिस्टम लागू कर दिया गया है।

104. राज्य में व्यावसायिक वाहनों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जाँच ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से करने हेतु **Automated Testing Station का निर्माण** राज्य सरकार के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

<u>नागर विमानन</u>

105. राज्य में वैमानिकी प्रशिक्षण को गतिशीलता प्रदान करने तथा नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से **Jharkhand Flying Institute नामक Society का गठन** करने का प्रस्ताव है।

106. राज्य वासियों को सस्ते दर पर Air Ambulance की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा Wet Lease पर एक **Air Ambulance** रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

107. राज्य में विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से **राजकीय नागर विमानन नीति, 2022** का गठन किया जायेगा।

108. अध्यक्ष महोदय, साहेबगंज सड़क, रेल एवं जल तीनों मार्गों से जुड़ते हुए एक Multi Model Hub के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार इसे वायु मार्ग से भी जोड़ कर साहेबगंज ही नहीं, बल्कि समस्त क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के उद्देश्य से **साहेबगंज में हवाई अड्डा** के निर्माण का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में परिवहन के लिए 03 सौ 35 करोड़ 62 लाख रुपये (335.62 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>ऊर्जा</u>

109. अध्यक्ष महोदय, राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति करना वर्त्तमान सरकार का लक्ष्य है। सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन, संचरण एवं वितरण के क्षेत्र में कई योजनाएँ संचालित की गई हैं। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचो को मजबूत एवं विकसित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।

110. राज्य सरकार अपने उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की योजना, Revamped Distribution Sector Schme (RDSS) में शामिल होने का

निर्णय लिया है। इस योजना के तहत लगभग कुल 98 सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। इस योजना के तहत राज्य में बिजली नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण, उचित ऊर्जा लेखांकन (Energy Accounting) और प्री पेड स्मार्ट मीटर की स्थापना की जायेगी।

प्री–पेड मीटर बिजली चोरी रोकने, राजस्व की सुरक्षा, एवं राजस्व वसूली में सुधार लाने में कारगर होंगे, जिससे उपभोक्ता सरलता से बिजली का उपयोग एवं उपयोग की गई बिजली का भुगतान कर सकेंगे।

111. राज्य सरकार द्वारा **Solar Energy** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Solar Policy लागू किया गया है। इसके तहत Solar Power Plant, Solar आधारित उद्योग स्थापित करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। आगामी वर्षों में इससे 01 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

112. उपभोक्ताओं को सब्सिडी (टैरिफ सब्सिडी)– राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि में अतिरिक्त भार को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु 01 हजार 08 सौ करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

113. **अध्यक्ष महोदय, गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव है।**

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में ऊर्जा के लिए 04 हजार 08 सौ 54 करोड़ 94 लाख रुपये (4,854.94 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

उद्योग

114. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उद्योगों की प्राथमिकता निर्धारित कर उनके लिए औद्योगिक नीतियों का निर्माण एवं सरलीकरण किया जायेगा।

115. राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नयी झारखण्ड उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू की गयी है, जिनके लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 160 करोड़ रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

116. IT & ITes, Bio-Technology इत्यादि प्रक्षेत्रों में Start-ups को प्रोत्साहित करने के लिए **Start-up Capital Venture Fund की स्थापना** की जायेगी।

117. वित्तीय वर्ष 2022–23 में Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) योजना के अन्तर्गत 06 हजार युवक–युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।

118. आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में नये हस्तकरघा समूहों का निर्माण कर उन्हें कार्यरत करने के लिए मशीन–उपकरण मद में अनुदान देने का प्रस्ताव है। साथ ही, पूर्व से कार्यरत 120 प्राथमिक बुनकर समितियों एवं 133 हस्तकरघा समूहों को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

119. हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास के लिए राँची में **Jharkhand Institute of Craft & Design (JICD) को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारम्भ** करने का प्रस्ताव है।

120. नये तकनीक के आधार पर नये उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से **Jharkhand Industrial Park Policy, Jharkhand Electirc Vehicle Policy** लागू करने का प्रस्ताव है।

121. Asset Reconstruction Corporation के माध्यम से **रूग्ण उद्योगों (Sick industires) के Revival के लिए पैकेज** तैयार किये जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में उद्योग के लिए 03 सौ 39 करोड़ 25 लाख रुपये (339.25 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>नगर विकास एवं आवास</u>

122. **अध्यक्ष महोदय,** किसी भी राज्य की राजधानी उसका दर्पण होता है। राज्य सरकार राज्य की राजधानी राँची के सम्पूर्ण विकास के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा Traffic व्यवस्था में सुधार के निमित्त दो Flyover एवं ट्रांस्पोर्ट नगर के निर्माण पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राँची के लिए एक **Comprehensive Mobility Plan का निर्माण** कराया जा रहा है, जिससे कि सुनियोजित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राजधानी राँची के सौन्दर्यीकरण पर भी कार्य किया जा रहा है एवं **पुराने बाजारों एवं आवासीय कॉलोनी के पुर्ननिर्माण** पर भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

123. झारखण्ड गठन के 20 वर्ष बाद भी अभी तक राज्य के बड़े शहरों तक में सुचारू सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं की गई है। सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में **राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद में आधुनिक सिटी बस** सेवा प्रारम्भ किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इन शहरों में मॉडर्न अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण लोक–निजी भागीदारी के आधार पर कराये जाने की योजना है।

124. राज्य सरकार अपने नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवगठित 10 नगर निकायों एवं गुमला, लोहरदगा तथा जामताड़ा में Piped Water Supply की नई योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

125. आमजनों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 70 हजार आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 35 हजार आवास पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य गठन के बाद **पहली बार राँची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण** प्रारम्भ किया जायेगा।

126. वित्तीय वर्ष 2022–23 में नये सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, जिससे कि सरकार के सभी विभाग एक जगह पर आपसी समन्वय के साथ काम कर सकें।

127. आगामी वित्तीय वर्ष में Greater Ranchi Development Authority (GRDA) अन्तर्गत आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ–साथ आवासों का भी निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में नगर विकास एवं आवास के लिये 03 हजार 55 करोड़ 04 लाख रुपये (3,055.04 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

पर्यटन, कला संस्कृति, युवा एवं खेलकूद

128. राज्य में पर्यटन नीति, 2021 लागू है, जो अगले 05 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। पर्यटक सुविधा हेतु आधारभूत संरचना विकास के तहत निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, पर्यटक आवासन व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना है।

129. राज्य के विभिन्न **डैम/जलाशयों में जलक्रीड़ा के अवसर** उपलब्ध कराये जाएँगे तथा विभिन्न जलाशयों को जोड़कर टुरिस्ट सर्किट विकसित किये जायेंगे।

130. राज्य के विभिन्न जलप्रपात में आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा जैसे **स्कायवाक् (Skywalk), रोपवे** इत्यादि जिससे पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

<u>खेलकूद हेतु आधारभूत संरचना का विकास</u>

131. राज्य में अगले वित्तीय वर्ष में **नई खेल नीति** घोषित की जायेगी, ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

132. राज्य में युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास हेतु राज्य के गाँवों में **सिदो–कानू युवा क्लब की स्थापना** की जायेगी, जहाँ युवा एवं खेल गतिविधियों से संबंधित सभी कार्यक्रम सम्पादित किये जायेंगे।

133. कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की राजधानी राँची में एक **राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केन्द्र** की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में पर्यटन, कला संस्कृति, युवा एवं खेलकूद के लिए 03 सौ 49 करोड़ 39 लाख रुपये (349.39 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स</u>

134. **अध्यक्ष महोदय,** आज के समाज की प्रगति में सूचना प्रौद्योगिकी की अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार भी IT एवं e-Governance के क्षेत्र में Artificial Intelligence एवं Blockchain तकनीकी के उपयोग से Data Driven Governance, Online Cashbook Management, Jharbhoomi Application एवं Land Records इत्यादि परियोजनाओं को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाकर आम नागरिकों को सुलभ एवं Real Time में सेवायें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

135. **अध्यक्ष महोदय,** कोरोना काल में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में IT के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है। IT क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से नई **IT Policy** लाने का प्रस्ताव है।

136. झारखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, राँची में एक **राज्य स्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) प्रयोगशाला** स्थापित करने का प्रस्ताव है।

137. युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से तथा हमर अपन बजट में प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य में **Start up Fund** बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स के लिए 03 सौ 53 करोड़ 27 लाख रुपये (353.27 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

<u>सूचना एवं जनसम्पर्क</u>

138. लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया एवं पत्रकारों के कल्याण हेतु भी सरकार कृत संकल्प है, जिसका उदाहरण अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त राँची प्रेस क्लब भवन सुचारू रूप से संचालित है। **देवघर तथा धनबाद में प्रेस क्लब** निर्माणाधीन है।

139. झारखण्ड राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु **झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021** लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में सूचना एवं जनसम्पर्क के लिए 01 सौ 56 करोड़ 07 लाख रुपये (156.07 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

140. राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु DNA Analysis, Cyber Forensic, Mobile Forensic Vans, Equipments and Electronic Items, Kits, Tools, Chemicals एवं अन्य संबंधित सुविधाओं को बढ़ायें जाने का प्रस्ताव है।

141. मानवाधिकार उल्लंघन के रोकथाम हेतु राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन कराया जाना है।

142. Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) परियोजना अंतर्गत पुलिस रिकार्ड का Digitization, Online FIR की सुविधा, समाधान पोर्टल अंतर्गत पुलिस से संबंधित ऑनलाईन सेवा तथा पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अन्वेषण ब्यूरो में डेटा का आदान–प्रदान करने की योजना प्रक्रियाधीन है। राज्य के 514 थानों में यह व्यवस्था लागू हो गई है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 08 हजार 04 सौ 52 करोड़ 67 लाख रुपये (8,452.67 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

वित्त

143. **अध्यक्ष महोदय,** सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की भाँति राज्य संचालित 24 योजनाओं के तहत भी DBT के माध्यम से भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है।

144. **अध्यक्ष महोदय,** हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश Digital Technology में अग्रणी है। हम भी Digital Technology का प्रयोग बढ़ाते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को paperless माध्यम से उनके वेतन का भुगतान करेंगे।

145. **अध्यक्ष महोदय,** सभी केन्द्रीय योजनाओं के तहत **Single Nodal Account** के माध्यम से योजनायें संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे लाभुकों के

भुगतान में आ रही कठिनाइयाँ तो दूर होंगी हीं, साथ ही लाभुकों को ससमय राशि उनके बैंक खाता में भी हस्तांतरित हो जायेंगी।

146. झारखण्ड में **आउटकम बजट** सूत्रित करने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2021–22 में शुरू की गयी थी, जिसके अंतर्गत कुल 11 विभागों द्वारा आउटकम बजट सूत्रित किये गए थे। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कुल 13 विभाग द्वारा आउटकम बजट का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 314 योजनाओं को आउटकम बजट में सम्मिलित किया गया है और लगभग 39 हजार करोड़ रुपये कर्णांकित की गयी है।

147. वित्तीय वर्ष 2022–23 के आउटकम बजट में योजना के उद्व्यय के साथ–साथ उनके कार्यान्वयन हेतु Target तथा Indicator को स्पष्टतः अंकित किया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन के बाद उनसे प्राप्त होने वाले आउटपुट एवं आउटकम को भी स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है।

148. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के आउटकम बजट प्रस्तुतिकरण के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के **आउटकम बजट के प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन** भी सदन के पटल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

149. सरकार का यह प्रयास कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के सम्पूर्ण क्रियान्वयन में राजकोषीय पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन की ओर एक मजबूत पहल है।

150. **अध्यक्ष महोदय,** अन्त में, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस बजट प्रस्ताव को गठित किया है।

151. सदन के समक्ष इसी लक्ष्य के साथ मैं राजस्व व्यय के लिए 76 हजार 02 सौ तिहत्तर करोड़ 30 लाख रुपये (76,273.30 करोड़ रुपये) तथा पूँजीगत व्यय के लिए

24 हजार 08 सौ 27 करोड़ 70 लाख रुपये (24,827.70 करोड़ रुपये) अर्थात् 01 लाख 01 हजार 01 सौ 01 करोड़ रुपये (1,01,101 करोड़ रुपये) का बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

152. **अध्यक्ष महोदय,** चन्द संकल्पबद्ध बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि 'हमारा वर्त्तमान ही हमारे भविष्य को गढ़ता है।' हमारे पुरखों की असंख्य पीढ़ियों ने अपने खून–पसीने से सींच कर इस हरे–भरे झारखण्ड को हमें सौंपा है। आज हम इतिहास के ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए सही मार्ग का निर्धारण करना है। अभावों–कठिनाइयों से मुक्ति स्वतः नहीं मिलती न ही इसे कोई हमें दान में देता है। हम सबों को अपने कठिन परिश्रम और सुचिन्तित निर्णयों से ही इस दिशा में प्रयाण करना होगा जहाँ खुशहाली–समृद्धि–सुशान्ति का सूरज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम सबों को यह संकल्प भी लेना होगा कि जिस सर्व उन्नत झारखण्ड का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसे ठोस जमीन पर उतारे बिना हम चैन की सांस नहीं लेंगे।

क्षण अमोघ है, इतना मैंने,
पहले भी पहचाना है,
प्रत्येक दिशा में आशातीत,
प्रगति के लम्बे डग भर,
निर्भय निरन्तर बढ़ना है,
बस बढ़ते, बस बढ़ते,
बस बढ़ते ही तो जाना है।

जय हिन्द। **जय झारखण्ड।** **जोहार।**